



2026:AHC:25176

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1690 / 2026

नीता देवी शर्मा

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : इरफान अहमद मलिक

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इरफान अहमद मलिक तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 25.11.1982 को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, वर्ष 1998 में हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया, और वर्ष 2018 में उप-निरीक्षक के रूप में आगे पदोन्नत किया गया और वे 31.12.2021 को सेवानिवृत्त हुए। रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वेतन-निर्धारण याचिकाकर्ता के हितों के प्रतिकूल किया गया है, क्योंकि इसे 62,000/- रुपये से घटाकर 58,600/- रुपये कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के हितों के विरुद्ध यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट-याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे।

5 फरवरी, 2026

(एन.एस. राठौर)

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"